



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 112]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2022—फाल्गुन 20, शक 1943

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2022

क्र. एफ-1-08-2022-बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश, राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संर्वार्ग) सेवा शर्ते भर्ती नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप-नियम (2) में शब्द “दो वर्ष” के स्थान पर शब्द “तीन वर्ष” स्थापित किए जाएं।

No. F-01-08-2022-XX-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh School Education Service (Teaching Cadre) Service Conditions and Recruitment Rules, 2018, namely.

AMENDMENT

In the said rules, in rule 11, for sub-rule (2), for the words “two years” the words “three years” shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. एल. मण्डलोई, उपसचिव,